रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270662
CG-DL-E-05032026-270662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]	**नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947**
No. 148]	**NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

सा.का.नि. 154(अ) – विस्फोटक नियम, 2008 का और संशोधन करने हेतु कतिपय नियमों के मसौदे को, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) के अनुसार अपेक्षित रूप से, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369 (अ), तारीख 5 जून, 2025 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां 5 जून, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्फोटक नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. विस्फोटक नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 83 के, उप नियम (4) में:-

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:-

"(क) एक मंजिला इमारत के भूतल पर स्थित हो, जिसमें स्वतंत्र या एकमात्र क्रियाकलाप हो, जिसमें स्वतंत्र प्रवेश और खुली हवा में आपातकालीन निकास हो और बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे हों;"

(ii) खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(छ) रणनीतिक स्थानों पर ड्राई केमिकल पाउडर (डीसीपी) प्रकार तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) प्रकार के कम से कम दो या अधिक अग्निशामक यंत्र स्थापित किए गए हों।"

3. मूल नियमों में, नियम 86 के उप नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतस्थापित किए जाएंगे:-

"(4) स्वतंत्र आतिशबाज़ी — स्वतंत्र आतिशबाजी की दुकान को किसी भी समीपवर्ती संरचना या भवन से न्यूनतम 3 मीटर की पूरी तरह खुली दूरी बनाए रखनी होगी।

(5) आतिशबाज़ी की दुकान— आतिशबाजी की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, चिकित्सा नैदानिक केंद्र तथा धार्मिक स्थल से न्यूनतम पचास मीटर की स्पष्ट दूरी बनाए रखनी होगी।

(6) अपवाद — उप-नियम (4) और (5) के उपबंध, प्ररूप एलई-5 अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाली आतिशबाजी की विद्यमान दुकानों पर लागू नहीं होंगे।

(7) सुरक्षा अपेक्षाएं— नियम 112 के उपबंधों के अधीन, आतिशबाज़ी की विद्यमान दुकानें निम्नलिखित सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करेंगी, अर्थात्-

i. दुकान में धुएं और ताप के संयोजन वाले पारंपरिक डुअल टाइप वाले डिटेक्टरों का उपयोग करते हुए दो स्वचालित अग्नि डिटेक्शन और अलार्म प्रणाली, ऑटो-डायलर के साथ इस प्रकार संस्थापित होने चाहिए जिससे आग लगने की स्थिति में दुकान के स्वामी और निकटतम अग्निशमन केंद्र को सूचित किया जा सके;

ii. विद्यमान आतिशबाज़ी दुकान में अग्नि शमन के लिए स्वतंत्र स्वचालित पोर्टेबल अथवा गुरुत्वाकर्षण-आधारित जल स्प्रिंकलर प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 300 लीटर जल भंडारण क्षमता हो तथा जो न्यूनतम 2 हॉर्सपावर (एचपी) क्षमता के पंप से संयोजित हो;

iii. स्टैंडअलोन सिस्टम के लिए वैकल्पिक बिजली आपूर्ति या बैटरी बैकअप उपलब्ध कराया जाएगा और पहले से स्थापित स्थिर हाइड्रेंट प्रणाली के मामले में, प्रणाली से एक टैपिंग या एक्सटेंशन लिया जा सकता है;

iv. बड़े आकार के केंद्रीकृत इलेक्ट्रिक पैनल को गैस आधारित क्लीन एजेंट के साथ इसे सुरक्षित रखने के लिए एक स्वचालित ट्यूबिंग सिस्टम के साथ संरक्षित किया जाएगा, जिसमें जिसमें 80–90 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से सेंसिंग तथा त्वरित गति से सक्रिय होने में सक्षम डिटेक्शन ट्यूब हो;

v. दुकान की दीवारों, छत और दरवाजों पर अग्निरोधी पेंट या अग्निरोधी सामग्री की कोटिंग होनी चाहिए ताकि कम से कम तीस मिनट की अग्नि रेटिंग मिल सके।

vi. दुकान में कन्सील विद्युत वायरिंग, स्पार्क या फ्लेम प्रूफ का उपयोग करते हुए अग्नि सुरक्षित केबल या अग्निरोधी न्यून स्मोक प्रकार की होनी चाहिए।

vii. पटाखों की दुकानों का वार्षिक विद्युत लेखा परीक्षा होना चाहिए, जो संबंधित राज्य के ऊर्जा या विद्युत बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमाणित योग्य व्यक्ति या विद्युत निरीक्षक द्वारा कराया जाएगा;

viii. खंड (i) से (vii) में निर्दिष्ट सभी उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित मानकों के अनुरूप होंगे।"

4. मूल नियमों में, नियम 112 के उप नियम (3) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारक को लिखित सूचना द्वारा नियम 86 के उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की अनुपालना हेतु एक वचनबद्धता (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, और अनुज्ञप्तिधारक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अथवा उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी पूर्व हो, उक्त वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।"

[फा. सं. 2(3)/2019-विस्फोटक-भाग (1)]

जय प्रकाश शिवहरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 907 (अ) तारीख 29 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 284(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2025 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2026

G.S.R. 154(E).—WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Explosives Rules, 2008 was published as required by sub-section (1) of section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry number G.S.R. 369 (E), dated the 5th June, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the said notification were made available to the public on 5th June, 2025;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 83, in sub-rule (4),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) be located on the ground floor of a single-storeyed building with independent or standalone activity, having an independent entrance and emergency exit opening directly to open space and having doors opening outwards;";

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) have not less than two or more fire extinguishers of Dry Chemical Powder (DCP) type and Carbon dioxide (CO2) type ~~be~~ placed at strategic points.".

3. In the principal rules, in rule 86, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

"(4) Independent fireworks.- The independent fireworks shop shall maintain a minimum clearance of three meters to open sky from any adjacent structure or building.

(5) Fireworks shop.- The fireworks shop shall maintain a minimum clear distance of fifty meters from educational institution, hospital, medical diagnostic centre and religious place.

(6) Exceptions.- The provisions of sub-rules (4) and (5) shall not apply to existing fireworks shops covered under licensed FORM LE-5.

(7) Safety requirements.- Subject to the provisions of rule 112, the existing fireworks shops shall comply with the following safety requirements, namely:-

i. the shop shall be -equipped with two automatic fire detection and alarm system using conventional dual type detectors having combination of smoke and heat with an auto-dialler facility to alert the shop owner and to the nearest fire station, in the event of fire;

ii. the existing fireworks shop shall install a standalone automatic portable or gravity fed water sprinkler system for fire suppression, with minimum water storage capacity of 300 liters connected to a pump of minimum rating 2 Horsepower (HP);

iii. an alternate power supply or battery backup shall be provided for the standalone systems and in the case of existing fixed hydrant system, one tapping or extension shall be taken from such system;

iv. the centralised large electric panel shall be protected by an automatic tubing system used with gas-based clean agent, with a detection tube capable of fast sensing at 80-90 degree Celsius and instant activation;

v. the walls, ceiling and doors of the shop shall be coated with fire-retardant paint or flameproofing material to achieve a fire rating of thirty minutes;

vi. the shop shall have concealed electrical wiring using spark-or-flame proof either fire survival cables or fire retardant low smoke type;

vii. the fireworks shop shall undergo an electrical audit annually, to be conducted by a certified qualified person or electrical inspector recognised by the Energy or Electrical Department of the concerned State;

viii. all the equipments referred to in clauses (i) to (vii) shall conform to the relevant standards of the Bureau of Indian Standard.".

4. In the principal rules, in rule 112, in sub-rule (3), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the licencing authority, before renewing the licence, shall call upon the licence holder by notice in writing to furnish an undertaking for compliance of additional safety measures specified in sub-rule (7) of rule 86 and the licence holder shall furnish such undertaking within ~~a~~ three months of the date of receipt of the notice or as may be specified therein, whichever is earlier.".

[F. No. 2(3)/2019-Expl-Part(1)]

JAI PRAKASH SHIVAHARE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number, G.S.R. 907 (E) dated the 29th December 2008 and lastly amended *vide* G.S.R. 284 (E) dated 24th April 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.05 14:32:13 +05'30'